राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 243/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–28.10.2024

GCMS ID–2024/314

बउनवान

1. सुखानाथ आयु वयस्क आ० गोरानाथ जाति नाथ निवासी बाबाजी का बरडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बूंदी।

प्रार्थी

बनाम

1. राज० राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बूंदी।
2. श्रीमान सहायक अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० हिण्डोली जिला बूंदी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा।

वकील अप्रार्थी :– श्री रवि शर्मा।

## आदेश

दिनांक :–27.02.2026

प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा सं0 2488 रकबा 0.6232 हेक्टर, 2489 रकबा 0.4856 हेक्टर, 2509 रकबा 0.3966 हेक्टर, 6274/2490 रकबा 0.3237 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.8291 हैक्टर वाके ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2076–79 की खतोनी सं० 771 में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा सं0 2488, 2489, 6274/2490 की भूमियां पास–पास है जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है जिन पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी की भूमि के समीप पश्चिम साईड पर बिजली विभाग का ग्रिड भूमि खसरा सं० 6384/2482 पर बना हुआ है तथा शेष तीन दिशाओं में सिवायचक भूमि खसरा सं० 2487 व 2490 स्थित है। सिवायचक भूमि व प्रार्थी की भूमि के मध्य कोई मुस्तकिम निशान नहीं है जिस कारण सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति आये दिन प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे में व्यवधान पैदा करते है। सिवायचक भूमि की स्वामी राज्य सरकार है लेकिन राज्य सरकार के राजस्व कर्मचारियों की उदासीनता के कारण सिवायचक भूमि की आडा में प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर भी अतिचार करने का प्रयास करने से प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। प्रार्थी अपनी भूमि की चारों सीमाओं का माप करवा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि पत्थरगढी के उपरांत अपनी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

भूमि की सुरक्षा हेतु अपनी सीमाओं पर तारपेंसिंग व पत्थरों की दीवार कर सके। प्रार्थी पडौसियों से मधुर संबंध रखना चाहता है और पडौसियों से किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहता है ऐसी स्थिति में सिवायचक भूमि की स्वामी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार व विद्युत विभाग के सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाकर प्रार्थी अपनी भूमि की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी अप्रार्थीगण की उपस्थिति में करवाकर अपनी सीमाओं पर तारपेंसिंग व सुरक्षा दीवार करवावे । प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करने को तैयार है। प्रार्थी ने पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय के आदेश के बिना पत्थगढी करने से दिनांक 5.10.2024 को इंकार कर देने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। भूमि ग्राम हिण्डोली में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सं0 2488, 2489 व 6274/2490 वाके ग्राम हिण्डोली की पत्थरगढी अप्रार्थीगण की उपस्थिति में किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करने को तत्पर है।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए।

अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि प्रकरण में हमें पक्षकार बनाया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो प्रार्थना की है वह राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित है, जो कि विद्युत विभाग की पृथक इकाई है। जिसके सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को है। हमारे विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं होने से हमारी हद तक प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने नियमानुसार राशि जमा कराये जाने के उपरान्त प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यदि संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

अभिभाषक पक्षकारान को सुना गया। बहस वकील पक्षकारान मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र/जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 771 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थी वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में पडौसी खसरा संख्या 6384/2482 का खातेदार सहायक अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 को मानते हुए उनको पक्षकार बनाया है। जबकि पत्रावली पर वकील अप्रार्थी द्वारा खाता संख्या 853 के खसरा संख्या 6384/2482 ग्राम हिण्डोली की जमाबंदी पेश की है, जिसमें उक्त भूमि के खातेदार राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, कोटा है। प्रार्थी द्वारा जिस पडोसी काश्तकार से अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाई जानी है उनको पक्षकार नही बनाए जाकर अन्य को पक्षकार बनाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में पक्षकारों का कुसंयोजन होना पाया गया है। प्रकरण में पक्षकारों का कुसंयोजन होने से पत्थरगढी करवाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

## –: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी उपर वर्णित तथ्यों अनुसार पक्षकारों का कुसंयोजन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446